बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय
मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–2, द्वितीय तल, पटना–15

अधिसूचना

संचिका संख्या अ0नि0 (01) 51/2024/स्था0....2009...., पटना, दिनांक....15/9/25

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा – 18, 19 एवं 20 में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं अभियोजन निदेशालय के कर्त्तव्य तथा दायित्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा – 20 (1) (b) में प्रत्येक जिला में एक जिला अभियोजन निदेशालय के गठन का प्रावधान किया गया है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में प्रत्येक न्यायालय में एक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा अभियोजन कार्य किया जाना है। बिहार में वर्तमान में न्यायिक दंडाधिकारियों के न्यायालयों की संख्या– 1195 एवं सत्र न्यायालयों की संख्या– 675 है।

3. बिहार अभियोजन सेवा के पदों के तारतम्यता एवं सहजता हेतु विभिन्न कोटि के पदों के पदनामों में परिवर्तन की निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्र0	पूर्व पदनाम	नया पदनाम
1.	जिला अभियोजन पदाधिकारी (पे लेवल–13)	मुख्य अभियोजक (Chief Prosecutor) (पे लेवल–13)
2.	अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (से0ग्रे0)/ अपर लोक अभियोजक (से0ग्रे0) (पे लेवल–12)	अपर मुख्य अभियोजक (Additional Chief Prosecutor) (पे लेवल–12)
3.	अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / अपर लोक अभियोजक (पे लेवल–11)	सहायक अभियोजक (Assistant Prosecutor) (पे लेवल–11)
4.	सहायक अभियोजन पदाधिकारी (पे लेवल–09)	अभियोजन पदाधिकारी (Prosecution Officer) (पे लेवल–09)

4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन निदेशालय के सुदृढ़ीकरण, जिला अभियोजन निदेशालय के गठन हेतु पदों के सृजन तथा साथ ही विभिन्न विभागों में अभियोजन पदाधिकारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता के मद्देनजर राज्य स्तर एवं जिला स्तर हेतु उप निदेशक/ मुख्य अभियोजक एवं समकक्ष (वेतन स्तर–13), सहायक निदेशक/अपर मुख्य अभियोजक एवं समकक्ष (वेतन स्तर–12), सहायक अभियोजक (वेतन स्तर–11), अभियोजन पदाधिकारी (वेतन स्तर–09) एवं निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर–02) के कुल 760 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पुर्नगठन के प्रस्ताव पर निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गई है :–

(क) राज्य स्तर पर अभियोजन निदेशालय के सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन –

क्र0	पदनाम	वेतनमान	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	सहायक निदेशक (अपर मुख्य अभियोजन समकक्ष)	पे–लेवल–12	04
2.	सहायक अभियोजक/समकक्ष	पे–लेवल–11	03
3.	अभियोजन पदाधिकारी	पे–लेवल–09	05
कुल			12

(ख) जिला अभियोजन निदेशालय के लिए पदों का सृजन –

क्र0	पदनाम	वेतनमान	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	उप निदेशक (जिला अभियोजन निदेशालय)	पे–लेवल–13	38
2.	सहायक निदेशक (जिला अभियोजन निदेशालय)	पे–लेवल–12	38
3.	अभियोजन पदाधिकारी (जिला अभियोजन निदेशालय)	पे–लेवल–09	76
4.	निम्नवर्गीय लिपिक	पे–लेवल–02	38
	कुल		190

(ग) न्यायालयों में अभियोजन संचालन हेतु अभियोजन सेवा के अतिरिक्त पदों का सृजन –

क्र0	पद का नाम	वेतन स्तर	स्वीकृत पद
1	सहायक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक समकक्ष)	लेवल–11	70
2	अभियोजन पदाधिकारी	लेवल–09	354
कुल			424

(घ) राज्य स्तर पर कतिपय विभागों/निदेशालयों/कार्यालयों में विधि पदाधिकारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन –

क्र0	विभाग/ निदेशालय/कार्यालय का नाम	पदनाम	वेतन स्तर	स्वीकृत पद
1	विधि कोषांग, गृह विभाग, बिहार	मुख्य अभियोजक /समकक्ष	पे–लेवल– 13	01
2	पुलिस मुख्यालय	मुख्य अभियोजक /समकक्ष	पे–लेवल– 13	01
		सहायक अभियोजक/समकक्ष	पे–लेवल– 11	02
3	अपराध अनुसंधान विभाग	मुख्य अभियोजक /समकक्ष	पे–लेवल– 13	01
4	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार	मुख्य अभियोजक /समकक्ष	पे–लेवल– 13	01
		अपर मुख्य अभियोजक/ समकक्ष	पे–लेवल– 12	04
		सहायक अभियोजक/ समकक्ष	पे–लेवल– 11	07
5	आतंकवाद निरोधक दस्ता	मुख्य अभियोजक /समकक्ष	पे–लेवल– 13	01
		सहायक अभियोजक/ समकक्ष	पे–लेवल– 11	01

6	बिहार लोक सेवा आयोग	मुख्य अभियोजक /समकक्ष	पे–लेवल– 13	01
		सहायक अभियोजक/ समकक्ष	पे–लेवल– 11	01
7	आर्थिक अपराध इकाई	मुख्य अभियोजक /समकक्ष	पे–लेवल– 13	01
8	कारा एवं सुधार सेवायें निरीक्षणालय	मुख्य अभियोजक /समकक्ष	पे–लेवल– 13	01
		सहायक अभियोजक/समकक्ष	पे–लेवल– 11	02
9	खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना	मुख्य अभियोजक /समकक्ष	पे–लेवल– 13	01
10	बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान (BICA), हाजीपुर (वैशाली)	मुख्य अभियोजक /समकक्ष	पे–लेवल– 13	01
		अपर मुख्य अभियोजक/ समकक्ष	पे–लेवल– 12	02
		अभियोजन पदाधिकारी/समकक्ष	पे–लेवल– 09	02
कुल				**31**

5. इस प्रकार अभियोजन निदेशालय, क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालय (जिला अभियोजन निदेशालय सहित) एवं विभिन्न विभागों में अभियोजन पदाधिकारियों एवं निम्नवर्गीय लिपिक के पूर्व सृजित पदों के अतिरिक्त 760 पदों का सृजन निम्नवत् किया जाता है :–

क्र0	**पद का नाम**	**वेतन स्तर**	**नव सृजित/ पुर्नगठित पदों की संख्या**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1	उप निदेशक/मुख्य अभियोजक एवं समकक्ष	लेवल–13	53
2	सहायक निदेशक /अपर मुख्य अभियोजक एवं समकक्ष	लेवल–12	64
3	सहायक अभियोजक एवं समकक्ष	लेवल–11	106
4	अभियोजन पदाधिकारी (मूल कोटि का पद)	लेवल–09	499
5	निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर–2)	लेवल–02	38
कुल			**760**

6. विभिन्न कार्यालयों में पूर्व से सहायक अभियोजन पदाधिकारी (मूल कोटि) के सृजित पद यथा– पुलिस मुख्यालय के 02 (दो) पद, अपराध अनुसंधान विभाग का 01 (एक) पद, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का 11 (ग्यारह) पद, आतंकवाद निरोधक दस्ता का 01 (एक) पद, बिहार लोक सेवा आयोग का 01 (एक) पद तथा कारा एवं सुधार सेवायें निरीक्षणालय के 02 (दो) पद कुल 18 पदों को विलोपित किया जाता है।

7. उक्त नवसृजित पदों में से प्रत्येक जिला अभियोजन निदेशालय हेतु उप निदेशक का 01 (एक) पद, सहायक निदेशक का 01 (एक) पद, अभियोजन पदाधिकारी का 02 (दो) पद तथा निम्नवर्गीय लिपिक का 01 (एक) पद कर्णांकित किया जाता है।

8. बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग में विभिन्न कोटि तथा निम्नवर्गीय लिपिक के उपर्युक्त कुल 760 पदों के सृजन में कुल **₹ 94,75,40,940/–**(चौरानवे करोड़ पचहत्तर लाख चालीस हजार नौ सौ चालीस रूपये मात्र) का वार्षिक आवर्तक व्यय अनुमानित है। इस राशि की निकासी बजट शीर्ष ''मांग संख्या–22'', मुख्य शीर्ष –2014 न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उप शीर्ष –0004, अभियोजन निदेशालय विपत्र कोड–22–2014.00.114.0004 से की जायेगी।

9. इस पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 02.09.2025 में मद संख्या–35 पर स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15/9/25

(सुधांशु कुमार चौबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक अ0नि0 (01) 51/2024/स्था0....2009.... दिनांक....15/9/25

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना का ई–गजट कोषांग एवं आई.टी. मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/25

सरकार के विशेष सचिव